बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

—: अधिसूचना :—

सं0–प्र0वि01–25 / 2018 2785 पटना, दिनांक 26/06/19

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और धारा–10(1)(क), 10(1)(ख), 10(3), 16(1)(क), 16(1)(ख) और 16(2) को प्रभावी करने के लिए बनाए गए नियमों, यथा– बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अधिक्रमण में बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाते है –

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भः–

(1) यह नियमावली बिहार उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण, बिहार और बिहार राज्य के जिला उपभोक्ता फोरमों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, वेतन भत्ते और सेवा शर्ते) नियमावली, 2019 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँः–

जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:–

(क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68);

(ख) 'जिला उपभोक्ता फोरम' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 9 के खंड (क) के अधीन स्थापित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम;

(ग) 'सदस्य' से अभिप्रेत है, यथास्थिति, अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) (ख) के अधीन नियुक्त जिला उपभोक्ता फोरम का सदस्य अथवा अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) (ख) के अधीन नियुक्त राज्य आयोग का सदस्य;

(घ) 'अध्यक्ष' से अभिप्रेत है यथास्थिति अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) (क) के अधीन नियुक्त जिला फोरम का अध्यक्ष अथवा अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) (क) के अधीन नियुक्त राज्य आयोग का अध्यक्ष;

(ड़) 'चयन समिति' से अभिप्रेत है, यथास्थिति धारा, 10 (1क) अथवा धारा 16 (1क) के अधीन गठित चयन समिति;

(च) 'राज्य आयोग' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 9 के खंड (ख) के अधीन स्थापित राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग;

(छ) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके प्रति क्रमशः समनुदेशित किए गए हों।

3. जिला उपभोक्ता फोरम में नियुक्ति की प्रक्रिया –

(1) जिला उपभोक्ता फोरम का अध्यक्ष सेवारत जिला न्यायाधीशों से या तो सीधी नियुक्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जा सकेगा।

परन्तुक, सेवारत जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय, पटना की सहमति के बिना नहीं की जा सकेगी।

परन्तुक, यह और कि जहाँ वर्ष के प्रारम्भ में जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष पाँच सौ से अधिक शिकायतें लंबित हों अथवा पिछले तीन वर्षों में दायर औसतन शिकायतें पाँच सौ से अधिक न हों तो आधार पर अंशकालिक नियुक्ति की जा सकेगी।

(2) उपनियम (1) के उपबंधो में किसी बात के होते हुए, भी यदि राज्य सरकार का यह मत होता हो कि किसी सेवारत जिला न्यायाधीश को अतिरिक्त प्रभार देकर कार्य किया जा सकता है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से ऐसा किया जा सकेगा।

(3) जिला उपभोक्ता फोरम के सदस्य पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक आधार पर नियुक्त किये जा सकेंगे :

परन्तुक, पूर्णकालिक नियुक्ति के लिए पदों की संख्या राज्य आयोग, उपभोक्ता संरक्षण, बिहार के अध्यक्ष के परामर्श से, राज्य सरकार द्वारा चिह्नित की जायेगी।

परन्तुक, यह और कि जहाँ जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित शिकायतें पाँच सौ से अधिक न हो अथवा पिछले तीन वर्षों में दायर औसतन शिकायतें पाँच सौ से अधिक न हो तो नियुक्ति अंशकालिक आधार पर की जा सकेगी।

(4) जिला उपभोक्ता फोरम के समक्ष वर्ष के प्रारम्भ में एक हजार पाँच सौ से अधिक लंबित शिकायतें अथवा पिछले तीन वर्षों में एक हजार से अधिक औसतन शिकायतें होने की दशा में राज्य सरकार जिला में एक अतिरिक्त जिला फोरम स्थापित कर सकेगी।

(5) अंशकालिक आधार पर नियुक्त अध्यक्ष और सदस्य सप्ताह में उतने दिन कार्य करेंगे जो राज्य आयोग के अध्यक्ष, जिला फोरम के कार्य भार को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के परामर्श से विनिश्चित किया जायेगा।

परन्तुक, एक सप्ताह में कार्य दिवस की संख्या दो से कम नहीं होगी और अंशकालिक आधार पर नियुक्त अध्यक्ष और सदस्य अपने कार्य दिवसों में नियमित कार्यालय समय का अनुपालन किया जायेगा।

(6) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में कार्य करते समय अथवा कार्य करने का तात्पर्य रखते समय अध्यक्ष और सदस्य भारतीय दंड संहिता की धारा–21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

4. राज्य आयोग में नियुक्ति की प्रक्रिया –

(1) राज्य आयोग में अध्यक्ष पूर्णकालिक रूप से अथवा उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश को अतिरिक्त प्रभार देकर नियुक्त किया जा सकेगा।

परन्तुक, उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की या तो पूर्णकालिक आधार पर या अतिरिक्त प्रभार देकर नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बिना नहीं की जा सकेगी।

(2) राज्य आयोग के सदस्य या तो (क) सीधी नियुक्ति द्वारा या (ख) वैसे सरकारी सेवकों, जो पद धारण करने के लिए अर्हित हों, में से प्रतिनियुक्त पर नियुक्त किये जा सकेंगे।

परन्तुक, सेवारत न्यायायिक पदाधिकारी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बिना नियुक्त नहीं किये जायेंगे।

परन्तुक, यह और कि जहाँ राज्य आयोग के समक्ष वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतें और अपील पाँच सौ से अधिक न हों अथवा पिछले तीन वर्षों में औसतन शिकायतें और दायर अपील पाँच सौ से अधिक न हों, तो नियुक्ति अंशकालिक आधार पर की जा सकेगी।

(3) अंशकालिक आधार पर नियुक्त सदस्य सप्ताह में उतने दिन कार्य करेंगे जो राज्य आयोग का अध्यक्ष जिला फोरम के कार्यभार को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के परामर्श से विनिश्चित किया जायेगा।

परन्तुक, एक सप्ताह में कार्य दिवस की संख्या दो से कम नहीं होगी और अंशकालिक आधार पर नियुक्त सदस्य अपने कार्य दिवसों में नियमित कार्यालय समय का अनुपालन किया जायेगा।

(4) इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में कार्य करते समय अथवा कार्य करने का तात्पर्य रखते समय अध्यक्ष और सदस्य भारतीय दंड संहिता की धारा–21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

(5) **जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन –**

(1) जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित विषय पर राज्य आयोग के अध्यक्ष द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

(2) रिक्ति होने के कम से कम छह माह पूर्व नियुक्ति की प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी।

(3) यदि अध्यक्ष अथवा सदस्य के त्यागपत्र अथवा मृत्यु अथवा नये पद के सृजन के कारण कोई पद रिक्त होता है तो पद को भरने की प्रक्रिया, यथास्थिति, पद के खाली होने अथवा सृजित होने के ठीक पश्चात् आरंभ की जाएगी।

(4) पात्र अभ्यर्थियों से पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करनेवाला रिक्ति संबंधी विज्ञापन प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा और ऐसी अन्य रीति से भी इसे परिचालित किया जाएगा जो राज्य आयोग का अध्यक्ष उचित समझे।

(5) जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन अधिनियम की धारा 10 की उपधारा–(1 क) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा।

(6) आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच के पश्चात पात्र अभ्यर्थियों की सूची उनके आवेदन पत्रों के साथ चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(7) चयन समिति निम्नलिखित प्रक्रिया से आवेदकों का चयन करेगी, यथाः–

(क) न्यायिक पृष्ठभूमि रखनेवाले अभ्यर्थियों की दशा में, ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा पारित निर्णयों और अन्य न्यायिक आदेशों के आधार पर;

(ख) केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी उपक्रम में कार्य करने का अनुभव रखनेवाले अभ्यर्थियों की दशा में, पिछले दस वर्षों के उनके उपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदन और जिस पद के लिए आवेदन किया गया है उससे सुसंगत उनके अनुभव के आधार पर;

(ग) अन्य मामलों में, निम्नलिखित स्कीम के अनुसार दो पत्रों की लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर हरेक पत्र के लिए अर्हक अंक 50 प्रतिशत होगाः

पत्र	विषय	परीक्षा की प्रकृति	पूर्णांक	समय
पत्र I	(क) सामान्य ज्ञान और सामयिक विषय (ख) भारत संविधान का ज्ञान (ग) अनुसूची में यथानिर्दिष्ट उपभोक्ता संबंधी विभिन्न विधियों का ज्ञान	वस्तुनिष्ठ	100	2 घंटा
पत्र II	(क) व्यापार एवं वाणिज्य, उपभोक्ता संबंधी मामले अथवा सार्वजनिक मामले जैसे विषयों में से चयनित विषय पर निबंध (ख) विश्लेषण क्षमता की जॉच करने तथा तर्कपूर्ण आदेशों के प्रारूपण के लिए, एक उपभोक्ता मामले का केस अध्ययन,	वस्तुनिष्ठ	100	3 घंटा

(8) चयन समिति चयनित सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगी जिसमें व्यक्तित्व, सुसंगत पिछले अनुभव, विधि के ज्ञान, विशेष उपलब्धि, अभिरूचि और लिये गए समनुदेशन पर उनकी दृष्टि पर सम्यक अधिमान देते हुए अंक दिए जा सकेंगे।

(9) चयन समिति राज्य सरकार के विचारार्थ योग्यता के क्रम के अनुसार अभ्यर्थियों में से यथास्थिति अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के नाम का एक पैनल अनुशंसित करेगी।

(10) राज्य सरकार अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रत्यय पत्रों और पूर्ववृत्तों को सत्यापित करेगी अथवा करवाएगी।

(11) अध्यक्ष अथवा सदस्य की हरेक नियुक्ति असैनिक शल्य चिकित्सक (सिविल सर्जन) अथवा जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा परिशिष्ट में यथा उपदर्शित रूप में हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र सुपुर्द करने के अध्यधीन होगी।

(12) नियुक्ति के पूर्व चयनित अभ्यर्थी को एक वचनबद्ध प्रस्तुत करना होगा कि उसके पास कोई ऐसा वित्तीय अथवा अन्य हित नहीं है तथा नहीं होगा जिससे अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना हो।

6. राज्य आयोग के अध्यक्ष का चयन –

(1) नियुक्ति की प्रक्रिया रिक्ति होने के कम से कम छह माह पूर्व राज्य सरकार द्वारा आरंभ की जाएगी।

(2) यदि अध्यक्ष के त्यागपत्र अथवा नये पद के सृजन के कारण कोई पद रिक्त होता है तो पद को भरने की प्रक्रिया, यथास्थिति, पद के खाली होने अथवा सृजित होने के ठीक पश्चात् आरंभ की जाएगी।

(3) अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1क) के अधीन गठित चयन समिति योग्यता और अनुभव के आधार पर उपयुक्तता का निर्धारण करने के पश्चात् खोज और चयन प्रक्रिया के माध्यम से प्रतीक्षा सूची के किसी अभ्यर्थी का किसी अन्य अभ्यर्थी के साथ अनुशंसा राज्य सरकार के विचारार्थ करेगी।

(4) विचारणीय अभ्यर्थी निगरानी की दृष्टि से मुक्त होगा।

(5) राज्य सरकार चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के पश्चात् करेगी।

(6) अध्यक्ष की हरेक नियुक्ति असैनिक शल्य चिकित्सक अथवा जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा परिशिष्ट में यथा उपदर्शित रूप में हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र सुपुर्द करने के अध्यधीन होगी।

(7) नियुक्ति के पूर्व चयनित अभ्यर्थी को एक वचनबद्ध प्रस्तुत करना होगा कि उसके पास कोई ऐसा वित्तीय अथवा अन्य हित नहीं है तथा नहीं होगा जिससे अध्यक्ष के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना हो ।

7. राज्य आयोग के सदस्यों का चयन –

(1) नियुक्ति की प्रक्रिया रिक्ति होने के कम से कम छह माह पूर्व राज्य आयोग के अध्यक्ष द्वारा आरंभ की जाएगी।

(2) यदि सदस्य के त्यागपत्र अथवा मृत्यु अथवा नये पद के सृजन के कारण कोई पद रिक्त होता है तो पद को भरने की प्रक्रिया यथास्थिति पद के खाली होने अथवा सृजित होने के ठीक पश्चात् आरंभ की जाएगी।

(3) पात्र अभ्यर्थियों से पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करनेवाला रिक्ति का विज्ञापन प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा और ऐसी अन्य रीति से भी इसे परिचालित किया जाएगा जो राज्य आयोग के अध्यक्ष उचित समझे।

(4) राज्य आयोग के सदस्यों का चयन अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1क) के अधीन गठित चयन समिति द्वारा किया जाएगा।

(5) आवेदन पत्रों की प्राप्ति के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच के पश्चात् पात्र अभ्यर्थियों की सूची उनके आवेदन पत्रों के साथ चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(6) चयन समिति निम्नलिखित रीति से आवेदकों का चयन करेगी, यथा:–

(क) न्यायिक पृष्ठभूमि रखनेवाले अभ्यर्थियों की दशा में, ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा पारित निर्णयों और अन्य न्यायिक आदेशों के आधार पर,

(ख) केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी उपक्रम में कार्य करने का अनुभव रखनेवाले अभ्यर्थियों की दशा में, पिछले दस वर्षों के उनके उपलब्ध गोपनीय प्रतिवेदन और जिस पद के लिए आवेदन किया गया है उससे सुसंगत उनके अनुभव के आधार पर,

(ग) अन्य मामलों में, निम्नलिखित स्कीम के अनुसार दो पत्रों की लिखित परीक्षा के आधार पर हरेक पत्र के लिए अर्हक अंक 50 प्रतिशत होगा।

पत्र	विषय	परीक्षा की प्रकृति	पूर्णांक	समय
पत्र I	(क) सामान्य ज्ञान और सामयिक विषय (ख) सिविल प्रक्रिया संहिता का विस्तृत ज्ञान (ग) अनुसूची में यथानिर्दिष्ट उपभोक्ता संबंधी विभिन्न विधियों का ज्ञान (घ) भारत संविधान का ज्ञान	वस्तुनिष्ठ	100	2 घंटा
पत्र II	(क) व्यापार एवं वाणिज्य, उपभोक्ता संबंधी मामले अथवा सार्वजनिक मामले जैसे विषयों में से चयनित विषय पर निबंध (ख) विश्लेषण क्षमता की जॉच करने तथा तर्कपूर्ण आदेशों के प्रारूपण के लिए, एक उपभोक्ता मामले का केस अध्ययन,	वस्तुनिष्ठ	100	3 घंटा

(7) चयन समिति चयनित सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगी और व्यक्तित्व, सुसंगत पिछले अनुभव, निर्णयों की गुणवत्ता, विधि के ज्ञान, विशेष उपलब्धि, अभिरूचि एवं लिए गए समनुदेशन पर उनकी दृष्टि पर सम्यक् अधिमान देते हुए अंक देगी।

(8) चयन समिति योग्यता के क्रम के अनुसार अभ्यर्थियों में से सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के नाम का एक पैनल राज्य सरकार के विचारार्थ अनुशंसित करेगी।

(9) राज्य सरकार अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रत्यय पत्रों और पूर्ववृत्तों को सत्यापित करेगी अथवा करवाएगी।

(10) सदस्य की हरेक नियुक्ति असैनिक शल्य चिकित्सक अथवा जिला चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा परिशिष्ट में यथा उपदर्शित रूप में हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र सुपुर्द करने के अध्यधीन होगी।

(11) नियुक्ति के पूर्व चयनित अभ्यर्थी को एक वचनबद्ध प्रस्तुत करना होगा कि उसके पास कोई ऐसा वित्तीय अथवा अन्य हित नहीं हैं तथा नहीं होगा जिससे ऐसे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना हो।

8. जिला उपभोक्ता फोरम के पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन/पारिश्रमिक –

(1) प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त सेवारत जिला न्यायाधीश को वही वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे, जो उन्हें पैतृक विभाग में धारित पद पर प्राप्त होता है।

(2) सेवारत अथवा सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश से भिन्न पूर्णकालिक अध्यक्ष जिला न्यायाधीश के वेतनमान के न्यूनतम वेतन एवं यथाग्राह्य अन्य भत्ते के समतुल्य समेकित पारिश्रमिक प्राप्त करेगा।

(3) पूर्णकालिक सदस्य को राज्य सरकार के उप सचिव के वेतनमान के न्यूनतम वेतन एवं यथाग्राह्य अन्य भत्ते के बराबर समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

(4) अध्यक्ष और सदस्यों के पद पर पूर्णकालिक रूप से नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी सेवक का वेतन निर्धारण अंतिम आहरित वेतन में से पुनर्नियोजित पेंशन भोगी के पेंशन की राशि तथा यथाग्राह्य अन्य भत्ते के योग को घटाकर किया जाएगा।

(5) पूर्णकालिक नियुक्त व्यक्ति के पारिश्रमिक का पुनरीक्षण 3 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के रूप में किया जाएगा।

9. जिला उपभोक्ता फोरम के अंशकालिक अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन/पारिश्रमिक –

(1) अंशकालिक अध्यक्ष को बैठक के लिए प्रतिदिन X वर्ग के शहरों के लिए पाँच हजार रूपये, Y वर्ग के शहरों के लिए चार हजार तथा अन्य जगहों के लिए तीन हजार रूपये पाँच सौ रूपये का समेकित पारिश्रमिक भुगतान किया जाएगा।

(2) अंशकालिक सदस्य को बैठक के लिए प्रतिदिन X वर्ग के शहरों के लिए चार हजार रूपये, Y वर्ग के शहरों के लिए तीन हजार पाँच सौ रुपये तथा अन्य जगहों के लिए लिए दो हजार पाँच सौ रुपये का समेकित पारिश्रमिक भुगतान किया जाएगा।

(3) अंशकालिक नियुक्त व्यक्ति के पारिश्रमिक की समीक्षा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए हरेक तीन वर्ष में की जाएगी।

(4) अतिरिक्त प्रभार के आधार पर की गयी नियुक्ति की दशा में पारिश्रमिक वित्त नियमावली के सुसंगत उपबंधों द्वारा शासित होगी।

10. राज्य आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन/पारिश्रमिक –

(1) राज्य आयोग के अध्यक्ष को वही वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियाँ प्राप्त होगी जो राज्य के उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश को ग्राह्य हों।

(2) राज्य आयोग के पूर्णकालिक सदस्य को राज्य सरकार के अपर सचिव के वेतनमान के न्यूनतम वेतन और यथाग्राह्य अन्य भत्ते के समतुल्य पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा :

परन्तु प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त सेवारत सरकारी सेवक प्रतिनियुक्ति वालों पर लागू उपबंधों के अधीन वेतन और भत्ते का हकदार होगा।

सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त व्यक्ति, जो पूर्णकालिक रूप से अध्यक्ष अथवा सदस्य के पद पर नियुक्त हों, के वेतन का निर्धारण अंतिम आहरित वेतन में से पेंशन की राशि को घटाकर किया जाएगा।

11. राज्य आयोग के अंशकालिक सदस्यों के वेतन/पारिश्रमिक –

(1) राज्य आयोग के अंशकालिक सदस्य को बैठक के लिए प्रतिदिन X वर्ग के शहरों के लिए पाँच हजार रूपये, Y वर्ग के शहरों के लिए चार हजार रूपये तथा अन्य जगहों के लिए तीन हजार रूपये का समेकित पारिश्रमिक भुगतान किया जाएगा।

(2) अंशकालिक नियुक्त व्यक्ति के पारिश्रमिक की समीक्षा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को ध्यान में रखते हुए हरेक तीन वर्ष में की जाएगी।

(3) अतिरिक्त प्रभार के आधार पर की गयी नियुक्ति की दशा में पारिश्रमिक यथा संशोधित वित्त नियमावली के सुसंगत उपबंधों द्वारा शासित होगी।

12. पूर्णकालिक नियुक्त व्यक्ति की छुट्टी और चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधा –

पूर्णकालिक नियुक्त व्यक्ति राज्य सरकार के समूह 'क' पर लागू उपबंधों के अनुसार छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधाओं का हकदार होगा।

13. वेतन, पारिश्रमिक और अन्य भत्तों का भुगतान राज्य सरकार की संचित निधि से किया जायेगा।

14. राज्य आयोग और जिला फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन एवं शर्ते उनकी पदावधि के दौरान उनके प्रतिकूल परिवर्तित नहीं किए जायेंगे।

15. विशेष परिस्थितियों में राज्य आयोग और जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाया जाना–

(1) राज्य सरकार अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी जो:–

(क) दिवालिया घोषित हो चुका हो, अथवा

(ख) किसी अपराध में सिद्धदोष हो चुका है और जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता शामिल हो, अथवा

(ग) अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक अथवा मानसिक रूप से असमर्थ हो चुका हो, अथवा

(घ) ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित कर चुका हो जिससे अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, अथवा

(ङ) अपने पद पर बने रहने के लिए अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो जो लोकहित के प्रतिकूल हो, अथवा

(च) छुट्टी अथवा ऐसे कारण जो उसके नियंत्रण में न हो को छोड़कर लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहा हो।

(2) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश द्वारा जाँच किए बिना, जिसमें राज्य आयोग के अध्यक्ष को उसके विरूद्ध लगाए गए आरोपों को सूचित किया गया हो तथा उन आरोपों के विरुद्ध सुने जाने का अवसर दिया गया हो तथा दोषी पाया गया हो, उस उप नियम के खंड (घ), (ङ) तथा (च) में विनिर्दिष्ट आधारों पर अपने पद से नहीं हटाया जाएगा।

(3) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य आयोग के सदस्य, जिला फोरम के अध्यक्ष अथवा सदस्य राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित राष्ट्रीय आयोग के सदस्य द्वारा जाँच किए बिना, जिसमें यथास्थिति जिला फोरम के अध्यक्ष अथवा सदस्य को उसके विरूद्ध लगाए गए आरोपों को सूचित किया गया हो और उन आरोपों के विरूद्ध सुने जाने का अवसर दिया गया हो तथा दोषी पाया गया हो, उस उपनियम के खंड (घ), (ङ) तथा (च) में विनिर्दिष्ट आधारों पर अपने पद से नहीं हटाया जाएगा।

16. व्यावृति– बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अधिक्रमण के होते हुए भी, उक्त नियमावली के अधीन किया गया कुछ भी अथवा की गई कोई कार्रवाई एतद् द्वारा प्रभावित नहीं होगी।

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत कोई आदेश या परिपत्र जो इस संशोधन नियमावली के विरूद्ध हो उसे निरसित समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–प्र02वि01–25/2018 2755 /खाद्य, पटना/दिनांकः– 26/06/19
प्रतिलिपिः– राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–प्र02वि01–25/2018 2755 /खाद्य, पटना/दिनांकः– 26/06/19
प्रतिलिपिः– निबंधक, राज्य आयोग उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना/अध्यक्ष, सभी जिला उपभोक्ता फोरम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–प्र02वि01–25/2018 2785 /खाद्य, पटना/दिनांकः– 26/06/19
प्रतिलिपिः– सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–प्र02वि01–25/2018 2755 /खाद्य, पटना/दिनांकः– 26/06/19
प्रतिलिपिः– सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली/निबंधक, राष्ट्रीय उपभोक्ता वाद निवारण आयोग, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–प्र02वि01–25/2018 2785 /खाद्य, पटना/दिनांकः– 26/06/19
प्रतिलिपिः– ई0 गजट प्रभारी, वित्त विभाग, पटना को विषयशीर्ष के साथ दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनु0:– यथोक्त। सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः–प्र02वि01–25/2018 2785 /खाद्य, पटना/दिनांकः– 26/06/19
प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को अधिसूचना की प्रति ई0मेल एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

अनुसूची

[नियम 5(7) (ग) और नियम 7(7)(ग) देखें]

1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986
2. विधिक माप–पद्धति अधिनियम, 2009
3. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016
4. प्रतियोगिता अधिनियम, 2002
5. एफ0 एस0 एस0 अधिनियम, 2006
6. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945
7. माल विक्रय अधिनियम, 1930
8. रिअल स्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016
9. विद्युत अधिनियम, 2003
10. बीमा अधिनियम, 1938